



मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :- उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 135/2025

1. दिलबाग सिंह पुत्र गुरतेज सिंह उर्फ सुबा सिंह जाति जटसिख निवासी केवलवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. भजन सिंह पुत्र दमन सिंह जाति जटसिख निवासी केवलवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—वादीगण

बनाम

1. कैरो सिंह पुत्र लाभ सिंह जाति जटसिख निवासी केवलवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. गुरवीर कौर पत्नी सुलखन सिंह जाति जटसिख निवासी केवलवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. सुलखन सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी केवलवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. मदनलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी 1 टीकेडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. राजपाल सिंह पुत्र दमन सिंह जाति जटसिख निवासी केवलवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. सुखदेव सिंह पुत्र लाभ सिंह जाति जटसिख निवासी केवलवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. रणजीत पुत्र कैरो सिंह जाति जटसिख निवासी केवलवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन

निर्णय दिनांक :- 27/08/25

वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिस्थलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 से 7 की ओर से श्री सुरेन्द्र सुथार अधिवक्ता व राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निर्णय के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए इकबाल के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है:-

क. वादीगण दिलबाग सिंह व भजन सिंह को प्राप्त कृषि भूमि :-

3
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



चक	प0न0	किला नंबर	तादादी
3 टीकेडब्ल्यू	6/222	1/.0885, 10/.1265, 11/.1265, 20/.1265, 21/.1265	0.5945 है0
	5/223	5/0.1083, 6/.1494, 15/.1494, 16/.1494 25/.1495	0.706 है0
कुल तादादी			1.3005 है0

ख. प्रतिवादी संख्या 1 कैरो सिंह को घरु बंटवारा में प्राप्त एवं कब्जा काशत की कृषि भूमि :-

चक	प0न0	किला नंबर	तादादी
3 टीकेडब्ल्यू	5/222	4/0.177, 7, 14, 17, 24	1.189 है0
	5/223	3/2/.126, 4/.0901, 7/.0901, 8/2/.127, 13/2/.126, 14/.0901, 17/.0901, 18/2/.127, 23/2/.127, 24/.0902	1.0836 है0
कुल तादादी			2.2726 है0

ग. प्रतिवादी सं. 2 गुरवीर कौर व प्रतिवादी सं. 3 सुलखन सिंह को घरु बंटवारा में प्राप्त एवं कब्जा काशत की कृषि भूमि :-

चक	प0न0	किला नंबर	तादादी
3 टीकेडब्ल्यू	5/222	5/.177, 6, 15, 16, 25	1.189 है0
	5/223	4/.0703, 5/.0653, 6/.0826, 7/.0703, 14/.0703, 15/.0826, 16/.0826, 17/0.0703, 24/.0702, 25/.0825	0.7470 है0
	6/220	21/4/.088	0.088 है0
कुल तादादी			2.024 है0

घ. प्रतिवादी सं. 4 मदनलाल को प्राप्त कृषि भूमि

चक	प0न0	किला नंबर	तादादी
3 टीकेडब्ल्यू	6/222	1/.0885, 10/.1265, 11/.1265, 20/.1265, 21/.1265	0.5945 है0

3 ड. प्रतिवादी सं. 5 राजपाल सिंह को प्राप्त कृषि भूमि
सहायक क्लर्क
अधिकारी पीसीडी



चक	प0नं0	किला नंबर	तादादी
3 टीकेडब्ल्यू	5/223	5/.0794	0.0794 है0

च. प्रतिवादी सं. 6 सुखदेव सिंह को प्राप्त कृषि भूमि :-

चक	प0नं0	किला नंबर	तादादी
3 टीकेडब्ल्यू	5/223	6/.021, 15/.021, 16/.021, 25/.021	0.084 है0

छ. प्रतिवादी सं. 7 रणजीत सिंह को प्राप्त कृषि भूमि :-

चक	प0नं0	किला नंबर	तादादी
3 टीकेडब्ल्यू	5/223	4/.0926, 7/.0926, 14/.0926, 17/.0926, 24/.0926	0.463 है0

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन / गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 27/08/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(3)
(सहायक कलक्टर एवं उपसचिव)
उपसचिव अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा